निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 59/2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्रीमती ज्योति सुण्डा, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री प्रदीप विश्नोई पुत्र श्री यशपाल विश्नोई, निवासी पीलवा पंचायत फतेह सागर, तहसील लोहावट, जिला फलौदी, हाल निवासी एआर सर्विस सेन्टर, झोटवाड़ा पुलिया के नीचे, आरजे 14 कार केयर के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 25 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 36 किग्रा व 01 विद्युत मोटर मय नोजल, पाईप, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :– पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 27.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2024 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ एआर सर्विस सेन्टर, झोटवाड़ा पुलिया के नीचे, आरजे 14 कार केयर के पास, जयपुर पहुंच कर जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री प्रदीप विश्नोई उपस्थित मिले। अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं वाहनों में ट्रांसफर करते हुए एवं विक्रय करते हुआ पाया गया। वक्त जांच मौके पर 25 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 36 किग्रा व 01 विद्युत मोटर मय नोजल, पाईप, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा पाए गए है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर जब्त सिलेण्डर्स के स्वामित्व संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स महादेव गैस एजेन्सी जयपुर को तौल कराकर सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दे दिया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस तरह जब्तशुदा 25 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 36 किग्रा व 01 विद्युत मोटर मय नोजल, पाईप, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 26.09.2024 को

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा जरिये थाना नोटिस प्राप्त किया गया, तथापि अप्रार्थी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 25 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 36 किग्रा व 01 विद्युत मोटर मय नोजल, पाईप, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा पाए गए है, जिनसे वाहनों में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को न्यून दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू/वाणिज्यिक सिलेण्डर का दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 25 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 36 किग्रा व 01 विद्युत मोटर मय नोजल, पाईप, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

4. पैरोकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी की ओर से जब्त गैस सिलेण्डर्स एवं अन्य सामग्री के स्वामित्व एवं अनाधिकृत तौर पर किए जा रहे कार्य के संबंध में कोई जवाब, दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू/वाणिज्यिक गैस का दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप 25 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 36 किग्रा व 01 विद्युत मोटर मय नोजल, पाईप, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 25 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 36 किग्रा व 01 विद्युत मोटर मय नोजल, पाईप, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात (**Confiscate**) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 26.09.2024 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner